न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 2245–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–15 पारित द्वारा तहसीलदार, ईसागढ़ जिला अशोकनगर प्रकरण कमांक 74/अ–12/14–15.

आनन्दपुर ट्रस्ट ईसागढ़ जिला अशोकनगर
द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी अचल विवेकानन्द
गुरू श्री दर्शन पूर्णानन्द
निवासी – आनन्दपुर ट्रस्ट ईसागढ़
तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर म0प्र0 ––––– आवेदक

विरूद्ध

1– खेमा पुत्र तुलैया
निवासी ग्राम कुलवार, तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0

2– म0 प्र0 शासन . ––––– अनावेदकगण

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक.
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक – 1.
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक –2.

:: आदेश ::

(आज दिनांक 2-11-2015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, ईसागढ़ के प्रकरण कमांक 74/अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 3–7–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा दिनांक 31–5–14 को अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे नंबर 170/1 रकबा 0.627 हैक्टर के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पर से दिनांक 31–5–14 को

ही नायब तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिए एवं प्रकरण में दिनांक 6–6–14 नियत की । प्रकरण में राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 2–7–15 को सीमांकन किया जाकर पंचनामा तैयार किया गया जिस पर आवेदक द्वारा लिखित आपत्ति की गई । राजस्व निरीक्षक ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 3–7–15 को तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है । तहसीलदार के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही अवैधानिक है । सीमांकन कार्यवाही के पूर्व सरहदी काश्तकारों को कोई सूचना नहीं दी गई । आवेदक द्वारा सीमांकन पर आपत्ति करते हुए कहा गया था कि उसकी भूमि की नपती भी की जाये किंतु उस पर कोई विचार नहीं किया गया और ना ही आवेदक की आपत्ति का निराकरण किया गया जबकि तहसीलदार को सीमांकन प्रतिवेदन की पुष्टि करने के पूर्व आवेदक की आपत्ति का निराकरण करना चाहिए था ।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की तथाकथित अवैध सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक कमांक 1 की भूमि को आवेदक ट्रस्ट की भूमि जो बाउन्ड्री वॉल से घिरी है के अंदर बताया गया है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आवेदक की भूमि की बाउन्ड्री वॉल से शासकीय स्टेट हाईवे लगा हुआ है जो बंदोवस्त पूर्व अर्थात लगभग 80–90 वर्ष पूर्व से बना हुआ है । आवेदक की बाउन्ड्री को बने हुए भी लगभग 25 वर्ष से अधिक समय हो गया है, इससे पूर्व भूमि तार फैंसिंग से घिरी हुई थी । जब बाउन्ड्री वॉल बनवाई गई उस समय नपती कर बाउन्ड्री वॉल बनाई गई थी । यह कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जब प्रश्नाधीन भूमि कय की गई थी उससे पूर्व से बाउन्ड्री वॉल बनी हुइ थी । इस ओर तहसीलदार ने कोई ध्यान नहीं दिया है ।

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा अपनी आपत्ति में अपने स्वामित्व की भूमियों के रकबे की नपती भी साथ में किए जाने की मांग की गई थी जिस पर कोई विचार न कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है ।

यह तर्क भी दिया गया कि आवेदक ने सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन पेश किया था जिस पर कलेक्टर ने अन्य सर्वे नंबरों के अतिरिक्त

प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 170 के संबंध में दिनांक 6–7–15 को तहसीलदार को यह निर्देश दिए थे कि प्रकरण में जांच निष्कर्ष तक कोई कार्यवाही न की जाये इसके उपरांत भी तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गए अवैधानिक सीमांकन की पुष्टि विवादित आदेश द्वारा की गई है । उकत आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक की सीमांकन कार्यवाही एवं तहसीलदार के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5– उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन का है जो अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रांरभ हुआ है । प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध है क्योंकि प्रकरण में प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 31–5–14 को लिखी जाकर प्रकरण पंजीबद्ध करने तथा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं एवं आगामी पेशी दिनांक 6–6–14 नियत की गई है किंतु प्रकरण 6–6–14 को नहीं लिया गया है और एक वर्ष से अधिक समय उपरांत दिनांक 3–7–14 को प्रकरण लेते हुए तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन को स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किए जाने के आदेश दिए हैं । जहां तक राजस्व निरीक्षक की सीमांकन कार्यवाही का प्रश्न है वह कार्यवाही भी पूरी तरह अवैधानिक है प्रकरण में जो पंचनामा है वह दिनांक 2–7–15 का है जिसमें सीमांकन किए जाने का उल्लेख है किंतु सीमांकन करने के पूर्व सरहदी काश्तकारों को कोई सूचना दी गई थी इस बावत कोई सूचनापत्र अभिलेख में नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह संदेहास्पद होकर अवैध एवं अधिकारिता रहित है । अभिलेख में आवेदक की आपत्ति दिनांक 2–7–15 भी संलग्न है राजस्व निरीक्षक ने भी उक्त आपत्ति का उल्लेख अपने सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 3–7–15 में किया है किंतु तहसीलदार द्वारा उक्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया है और दिनांक 3–7–15 को ही अत्यंत जल्दबाजी में राजस्व निरीक्षक के सीमांकन

प्रतिवेदन की पुष्टि की गई है जबकि प्रकरण एक वर्ष से बिना तिथि के बंद पड़ा हुआ था, इससे अधीनस्थ न्यायालय की सारी कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है । अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पश्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के चारों सीमों में किस भूमिस्वामी की भूमि हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जो सीमांकन कार्यवाही एवं तहसील न्यायालय आदेश है वह अवैधानिक होने से स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, ईसागढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–7–15 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, ईसागढ़ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 की भूमियों का सीमांकन एक साथ, उभयपक्षों को तथा अन्य सरहदी काश्तकारों विधिवत सूचना देकर एवं कलेक्टर द्वारा उन्हें दिए गए निर्देश दिनांक 16–7–15 को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निराकरण किया जाये । यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि कार्यवाही के दौरान पक्षकारों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उसका निराकरण प्रथमतः करते हुए प्रकरण का निराकरण किया जाये ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर